



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक ७२(४)]

सोमवार, ऑक्टोबर १४, २०१९/आश्विन २२, शके १९४१

[पृष्ठ ९, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ११७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated 14th October 2019.

NOTIFICATION

No. ELR-2019/C.R.1391/19/XXXIII.—In pursuance of section 61 of the Representation of the People Act, 1951, the following is published for general information.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001
dated 12th October 2019

Order

No. 3/4/ID/2019/SDR-VOL. I.—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling ; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost ; and

(१)

3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote ; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together ; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme ; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in all the States ; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current bye elections from **46 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 16 States and the bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra**, which have been notified on **23rd September 2019 & 27th September 2019**, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :—

- (i) Passport ;
- (ii) Driving License ;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs./Public Limited Companies ;
- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office ;
- (v) PAN Card ;
- (vi) Smart Card issued by RGI under NPR ;
- (vii) MNREGA Job Card ;
- (viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour ;
- (ix) Pension document with photograph ;
- (x) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs
- (xi) Aadhaar Card.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order,

N. T. BHUTIA,
Secretary.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency
(1)	(2)	(3)
1.	Arunachal Pradesh	56-Khonsa (West)(ST)
2.	Assam	1-Ratabari (SC)
3.	Assam	44-Jania
4.	Assam	74-Rangapara
5.	Assam	106-Sonari
6.	Bihar	54-Kishanganj
7.	Bihar	76-Simri Bakhtiarpur
8.	Bihar	109-Daraunda
9.	Bihar	158-Nathnagar
10.	Bihar	163-Belhar
11.	Chhattisgarh	87-Chitrakot (ST)
12.	Gujarat	8-Tharad
13.	Gujarat	20-Kheralu
14.	Gujarat	50-Amraiwadi
15.	Gujarat	122-Lunawada
16.	Himachal Pradesh	18-Dharamshala
17.	Himachal Pradesh	55-Pachhad (SC)
18.	Madhya Pradesh	193-Jhabua (ST)
19.	Meghalaya	26-Shella (ST)
20.	Odisha	2-Bijepur
21.	Puducherry	10-Kamraj Nagar
22.	Punjab	29-Phagwara (SC)
23.	Punjab	39-Mukerian
24.	Punjab	68-Dakha
25.	Punjab	79-Jalalabad
26.	Rajasthan	28-Mandawa
27.	Rajasthan	110-Khinwsar
28.	Sikkim	10-Poklok-Kamrang
29.	Sikkim	24-Martam-Rumtek (BL)
30.	Sikkim	27-Gangtok (BL)
31.	Tamil Nadu	75-Vikravandi
32.	Tamil Nadu	227-Nanguneri
33.	Telangana	89-Huzurnagar

Sl. No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency
(1)	(2)	(3)
34.	Uttar Pradesh	7-Gangoh
35.	Uttar Pradesh	37-Rampur
36.	Uttar Pradesh	77-Iglas (SC)
37.	Uttar Pradesh	175-Lucknow Cantt.
38.	Uttar Pradesh	212-Govindnagar
39.	Uttar Pradesh	237-Manikpur
40.	Uttar Pradesh	248-Pratapgarh
41.	Uttar Pradesh	269-Zaidpur (SC)
42.	Uttar Pradesh	280-Jalalpur
43.	Uttar Pradesh	282-Balha (SC)
44.	Uttar Pradesh	354-Ghosi
45.	Gujarat	16-Radhanpur
46.	Gujarat	32-Bayad

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001, दिनांक 12 अक्टूबर 2019

आदेश

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I.— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा में यह उपबंधित है कि 61 निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से 62 ताकि उक्त अधिनियम की धारा, अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के, सके लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं ; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम इस, निर्वाचन आयोग को 28 दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फ, को सरल बनाया जा सके फोटोयुक्त निर्वाचक फोटोपहचानपत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा

3. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम (ज 493) ट 49 और ३२ में (ख)ट, यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम वहां, पत्र दिए गए हैं-के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान 28 पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर-निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण, ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक यह निर्वाचन, नामावली में नाम के होने से ही होता है आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए तथा दोनों का एक साथ प्रयोग, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है करना होता है ; तथा

5. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम के अधीन निर्वाचन आयोग 28 (ईपीआईसी) पत्र-ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान, अगस्त 28 जारी करने का निदेश देते हुए 1993 को एक आदेश जारी किया है ; तथा

6. यतः, सभी राज्यों में बड़ी संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं ; तथा

7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं लक्ष्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि 16 राज्यों की 46 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1) के अनुसार एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप-निर्वाचनों, जोकि 23 सप्टेंबर 2019 एवं 27 सप्टेंबर 2019 को अधिसूचित किये गए हैं, सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :—

- (i) पासपोर्ट,
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (iii) राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने, केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पत्र-कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान,
- (iv) बैंको, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) सांसदों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र/विधायकों,
- (xi) आधार कार्ड ।

8. एपिक के संबंध में वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना, लेखन अशुद्धि, चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक-जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन, फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु, स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपयुक्त पैरा में 7 वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में, में, किसी बात के होते हुए भी 7 क के अधीन निर्वाचक 20 की धारा 1950 विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा कोई अन्य पहचान मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट, नामावलियों में पंजीकृत हैं के आधार पर ही पहचान जाएगा। (दस्तावेज नहीं)

आदेश से,

भूटिया. टी. एन.,
सचिव.

संलग्नक-I

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	अरुणाचल प्रदेश	56-खोन्सा (पश्चिम) (अ.ज.जा.)
2.	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)
3.	असम	44-जनिया
4.	असम	74-रंगापारा
5.	असम	106-सोनारी
6.	बिहार	54-किशनगंज
7.	बिहार	76-सिमरी बख्तियारपुर
8.	बिहार	109-दरौदा
9.	बिहार	158-नाथनगर
10.	बिहार	163-बेलहर
11.	छत्तीसगढ़	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
12.	गुजरात	8-थराद
13.	गुजरात	20-खेरालु
14.	गुजरात	50-अमराईवाडी
15.	गुजरात	122-लुणावाडा
16.	हिमाचल प्रदेश	18-धर्मशाला
17.	हिमाचल प्रदेश	55-पच्छाद (अ.जा.)
18.	मध्य प्रदेश	193-झाबुआ (अ.ज.जा.)
19.	मेघालय	26-शेल्ला (अ.ज.जा.)
20.	उड़ीसा	2-बिजेपुर
21.	पुडुचेरी	10-कामराज नगर
22.	पंजाब	29-फगवाडा (अ.जा.)
23.	पंजाब	39-मुकेरियाँ
24.	पंजाब	68-दाखा
25.	पंजाब	79-जलालाबाद
26.	राजस्थान	28-मंडावा
27.	राजस्थान	110-खींवसर
28.	सिक्किम	10-पोकलोक-कामरंग
29.	सिक्किम	24-मारतम-रुमटेक (बी.एल.)

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
(1)	(2)	(3)
30.	सिक्किम	27-गंगटोक (बी.एल.)
31.	तमिलनाडु	75-विक्रावांडी
32.	तमिलनाडु	227-नानगुनेरी
33.	तेलंगाना	89-हुजूरनगर
34.	उत्तर प्रदेश	7-गंगोह
35.	उत्तर प्रदेश	37-रामपुर
36.	उत्तर प्रदेश	77-इगलास (अ.जा.)
37.	उत्तर प्रदेश	175-लखनऊ कैंटोमैन्ट
38.	उत्तर प्रदेश	212-गोविन्दनगर
39.	उत्तर प्रदेश	237-मानिकपुर
40.	उत्तर प्रदेश	248-प्रतापगढ़
41.	उत्तर प्रदेश	269-जैदपुर (अ.जा.)
42.	उत्तर प्रदेश	280-जलालपुर
43.	उत्तर प्रदेश	282-बलहा (अ.जा.)
44.	उत्तर प्रदेश	354-घोसी
45.	गुजरात	16-राधनपुर
46.	गुजरात	32-बायड

A. N. VALVI,

Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक ईएलआर-२०१९/प्र.क्र. १३९१/१९/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९.

प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित :—

- (१) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (२) उप जिल्हाधिकारी व उप निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (३) निवडनस्ती.

अ. ना. वळवी,

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.